कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी इंजीनियरिंग संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग, सत्र 2019–20

महत्वपूर्ण निर्देश

पंजीयन (Registration) :–

1. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को कांउसलिंग में **केवल एक बार पंजीयन** कराना आवश्यक होगा, जो कि **निःशुल्क** (NRI एवं IPS को छोड़कर) रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
2. ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध होने पर, पंजीयन के समय अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम, श्रेणी **(SC/ST/OBC)** का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रोल नंबर/समग्र आईडी नंबर एवं संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऑनलाईन–सत्यापन किया जाकर पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की सभी जानकारियां ऑनलाईन सत्यापित हो जाएगी, उन्हें सहायता केन्द्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिये उपस्थित होने की आवश्यकता नही होगी किन्तु जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः नही हो पाता है ऐसे अभ्यर्थियों को केवल पंजीयन पर्ची जारी की जावेगी और उन्हें अपने दस्तावेजों का सत्यापन सहायता केन्द्रो पर करवाना अनिवार्य होगा।
3. प्रथम/द्वितीय चरण **JeeMain-2019** आधारित अथवा अर्हकारी परीक्षा आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।

सत्यापन(Verification):–

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से सत्यापन कराने की आवश्यकता नही है।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी प्रकार की आरक्षित श्रेणी **(SC/ST/OBC)** अथवा वर्ग **(S/FF/HC/NCC/TS)** का लाभ लेना चाहते है उन्हें प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजा का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर कराना अनिवार्य है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो नियमों में उपलब्ध किसी प्रकार की शासन की सुविधा (यथा राष्ट्रीय स्तर के खेल का स्वर्ण पदक की अधिमान्यता, गरीबी रेखा अथवा चतुर्थ श्रेणी इत्यादि) के लाभ लेने के इच्छुक है। प्राथमिकता चयन करने के पूर्व अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
4. दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके अभ्यर्थी, यदि काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेने के इच्छुक है, तब उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना आवश्यक नही होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी यदि सत्यापन में सुधार करवाना चाहते है तो वे पुनः सत्यापन संबंधी कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर करवा सकते है।
5. जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नही कराया है ऐसे अभ्यर्थियों का उनके द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आवंटन किया जावेगा। आवंटन उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
6. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें **शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थायें** आवंटित हुई हैं एवं पंजीयन के समय उन्हें ऑनलाईन सत्यापित होकर पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त नहीं हुई है (आरक्षित वर्ग/श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़कर), वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें **निजी क्षेत्र की संस्था आवंटित** हुई है एवं पंजीयन के समय उन्हें केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

प्राथमिकताक्रम का चयन(Choice Filling):–

1. अभ्यर्थी **न्यूनतम** 10 तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।
2. जेईई (मेन) 2019 के आधार पर आयोजित काउंसलिंग में सामान्य पूल की सीटों के साथ–साथ शिक्षण शुल्क छूट(TFW)योजना की सीटों पर भी प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लियें अभ्यर्थियों को कॉमन रूप से च्वाईस फिलिंग कर लॉक करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
3. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन** (Choice Filling) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन** (Choice Filling) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1,530/– (कांउसलिंग शुल्क रुपये 400/–आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1,000/– एवं पोर्टल शुल्क रुपये 130/– सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (Non-Refundable).
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को **प्राथमिकताक्रम**

का चयन (Choice Filling) करने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क रुपये 1,130/– (रुपये 130/–पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (Non-Refundable).

आवंटन(Allotment):–

1. जेईई (मेन) 2019/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित चरण में मेरिट अनुसार प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा।

अपग्रेडेशन एवं प्रवेश (Upgradetion and Admission):–

1. जेईई (मेन) 2019 के आधार पर आयोजित प्रथम चरण की काउंसिलिंग के दो अपग्रेडेशन के अवसर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अतः अभ्यर्थी यदि प्रथम चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का इच्छुक है तब उसे ऑनलाइन अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
2. संस्था/ब्रांच का आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन का विकल्प का चयन करने के इच्छुक है तो उन्हें प्रत्येक अपग्रेडेशन हेतु अतिरिक्त आंशिक शिक्षण शुल्क रूपये 1030/–(रूपये 30/– पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा। अभ्यर्थी अपग्रेडेशन उपरांत अंतिम रूप से प्रवेश की कार्यवाही संपादित नही करता है तब उसके द्वारा जमा की गई आंशिक शिक्षण शुल्क की समस्त राशि जप्त कर ली जावेगी।
3. अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करना होगा तथा यदि अभ्यर्थी आवंटन से संतुष्ट है तब उन्हें आवंटन प्रिंट आउट में दर्शाई गई नई आवंटित संस्था में अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करना होगा।
4. यदि अभ्यर्थी प्रथम अपग्रेडेशन उपरांत भी द्वितीय अपग्रेडेशन के इच्छुक है तब वह निर्धारित आवश्यक शुल्क जमा कर द्वितीय अपग्रेडेशन में शामिल हो सकता है।
5. अपग्रेडेशन न होने पर अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्था का नवीन आवंटन पत्र प्राप्त कर उसमें दर्शाई गई अंतिम तिथि तक रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। अथवा पुनः अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध होने पर अपग्रेडेशन का विकल्प भी चुन सकते है। (अपग्रेडेशन में अभ्यर्थी द्वारा चयनित संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में से उसे आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम से ऊपर की प्राथमिकताक्रम के लिये आवंटन हेतु अवसर मिलेगा।)
6. यदि किसी अभ्यर्थी को आवंटन जारी होते समय सीट आवंटन नही हुआ है तो उन्हें स्वतः ही प्रत्येक अपग्रेडेशन राउंड में सम्मिलित किया जाकर अपग्रेडेशन की कार्यवाही की जावेगी।
7. अभ्यर्थी जिन्हें संस्था प्राथमिकताक्रम चयन सूची में प्रथम च्वाइस प्राप्त हुई है तब उन्हें नैसर्गिक रूप से अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध नही होगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में लिया गया समस्त आंशिक शिक्षण शुल्क प्रवेशित संस्था को स्थानांतरित किया जायेगा।

आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन(Internal Branch Sliding) :–

1. संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थियों को **प्रथम/द्वितीय चरण** की काउंसलिंग के उपरान्त, रिक्त एवं ड्रॉपआउट सीटों पर ऑनलाइन प्राथमिकताक्रम प्रस्तुत कर आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन का विकल्प प्रवेशित संस्था में दिया जायेगा। इस हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क रुपये 100/–देय होगा। ब्रांच परिवर्तन होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश परिवर्तित ब्रांच में स्वतः ही मान लिया जावेगा।

प्रवेश (Admission):–

1. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाऐं आवंटित हुई हैं, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर (आरक्षित वर्ग/श्रेणी के उम्मीदवारों को छोड़कर) अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
2. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्थाऐं आवंटित हुई हैं एवं उन्हें पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त हुई है वे आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
3. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्था आवंटित हुई है तथा पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त हुई है, उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन कराने के उपरान्त आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

सामान्य निर्देश

1. पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाईल नंबर तथा ई–मेल आईडी तैयार रखें।
2. प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
3. सत्यापन उपरांत सत्यापन अधिकारी की हस्ताक्षरित पावती अवश्य प्राप्त करें।
4. ***मध्यप्रदेश शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पाल्य/मध्यप्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों के पाल्य जो जेईई (मेन)–2019 मेरिट रैंक के आधार पर इस हेतु जारी की गई कट–ऑफ में हैं, केवल ऐसे अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार सुविधा का लाभ लेने हेतु पंजीयन तथा दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) कर लॉक कर सकेंगे। (कट–ऑफ की जानकारी के लिये वेबसाइट देखें)***
5. शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी अधिकृत सहायता केन्द्र (काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) अथवा एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।

6. प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एमपी मोबाइल **(MP Mobile) एन्ड्रायड एप** पर कहीं से भी संपादित कर सेव **(Save)** कर लें, तत्पश्चात् ही किसी अधिकृत सहायता केन्द्र/एमपीऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
7. अधिकृत सहायता केन्द्रों **(Help Centres)** (सूची वेबसाइट **dte.mponline.gov.in**पर उपलब्ध रहेगी)।
8. सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।
9. प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी **www.dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंवे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियॉ

1. मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटो–प्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2. काउंसलिंग में पंजीयन **(Registration)** के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लेवें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन, सत्यापन एवं संस्था में रिर्पोटिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेगें।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट **www.dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।
4. ***"किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा संस्था में मूल दस्तावेज जमा नहीं किये जाने है यदि अभ्यर्थी द्वारा मूल–दस्तावेज जमा किये जाते है तो सम्पूर्ण जवाबदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।"***
5. शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट **www.afrcmp.org** देखें।

संपर्क :– 0755-6720205, 2660441 ईमेलः–dtehelpcenter@mponline.gov.in

अध्यक्ष–काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश